Statement

Suggestions by All India Council of Mayors Relating to the constitution (Seventy Third Amendment) Bill 1991

1. (a) Amendment in Article 243 I so as to make provision for levying of certain tax by or exclusively for Local Bodies.

   (b) Levy and collection of certain duties and taxes by the State Govt. and to be assigend the same to Local Bodies within which that duty or tax leviable.

   (c) Levy and collection of certain taxes by the State Governments.

   (d) Provision to debar State Governments from levying any of the tax/duties/fees mentioned in a&b above or to abolish the same by the State Government or to abolish them or to impose a tax parallel to any of these taxes within the area of a Municipality.

2. Provisions relating to Ward Committees should be deleted.

3. Parliament to be empowered to frame Model Acts for Municipal Corporation and Municipality.

सरकारी आवास का आवंटन

2448. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारी कितनी समय सीमा के बाद सरकारी आवास के आवंटन के हकदार हो जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों को पहली बार सरकारी आवास का आवंटन किया गया है और वर्ष वार, कितने सरकारी कर्मचारियों को उच्च "टाइप" के आवास का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) सरकार ने सरकारी आवास आवंटन प्रणाली में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय स्वायत संगठनों क कर्मचारी "सामान्य पूल" के अधीन आवासों का आवंटन के पात्र हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जिन कार्यालयों को साधारण पूल आवास के लिए पात्र घोषित किया गया है, उन कार्यालयों में कार्यरत सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रिहायशी आवास आवंटन के लिए पात्र हैं । रिहायशी आवास की भारी कमी के कारण टाइप I से तक IV का वास्तविक आवंटन सेवाकाल के आधार पर किया जाता है, तथा टाइप V से टाइप VIII से संबंधित वास्तविक आवंटन किसी निश्चित तारीख को लिए जा रहे मूल वेतन के आधारपर किया जाता है ।

(ख) यद्यपि ठीक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तथापि उपलब्ध जानकारी के अनुसार विगट तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में बंगलों को छोड़कर, किए गए आवंटन का अनुमानित ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1988	1990	1991 (8/91) तक
टाइप–I	1274	1245	804
टाइप–II	2560	2822	2354
टाइप–III	2711	2215	2449
टाइप–IV	1062	1091	793
टाइप–V	470	513	380
टाइप–VI	65	72	55

तथापि, पहली बार किए गए आबंटनों के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते और उच्च श्रेणी के आवासों के आंकड़े अलग से रखे जाते हैं।

(ग) आबंटन की प्रणाली को कारगर बनाने के लिए मकानों के स्टाक की उपलब्धता को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। आवेदनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति को भी कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

शिकायतों पर ध्यान देने तथा आवास सम्बन्धी पुछताछ का उत्तर देने के लिए एक जन कल्याण अधिकारी को नामित किया गया है।

(घ) नीतिगत मामले के अनुसार स्वायत्त संगठन के कर्मचारी सामान्य पूल के आवास आबंटन के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, इस प्रकार के कुछ संगठनों के लिए विशेष कारणों को लेकर इस नीति में छूट दी गई है।

(ङ) भारत की संचित निधि से वेतन लेने वाले अधिकारी साधारण पूल के आवास के आवंटन के लिए पात्र हैं। साधारण पूल के आवासों में कमी को देखते हुए इसमें किसी प्रकार की ढील/छूट आमतौर पर नहीं दी जाती है।

देश में द्रुतगामी परिवहन प्रणाली

2449. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में द्रुतगामी परिवहन प्रणाली के अधीन रेल गाड़ियों की यातायात समस्याओं को हल करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान शहरी परिवहन प्रणाली के अधीन चल रही रेल गाड़ियों के नवीकरण ; अनुरक्षण और प्रचालन के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1990 के दौरान कुल कितनी राशि खर्च की गई थी और इससे किन-किन शहरों को लाभ हुआ है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न सेवाओं के लिए कोई पृथक बजटीय प्रावधान नहीं किया जाता है। व्यय संयुक्त रूप से किया जाता है तथा बाद में विभिन्न सेवाओं में नयोजित किया जाता है।

(ग) बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के महानगरीय क्षेत्रों में रेल-बेसड कम्प्यूटर सेवाओं पर 1989-90 के लिए लगभग 514 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।

दिल्ली में आवास आदि की समस्या

2450. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान आवास समस्या और महानगर की अन्य समस्याओं को हल करने हेतु दिल्ली के विस्तार के लिए कोई प्राधिकरण स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, ऐसा प्राधिकरण कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों की ऐसी समस्याओं का ब्यौरा क्या है जिनको उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा उठाए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) बड़े राजधानी क्षेत्र के सन्दर्भ में दिल्ली के आर्थिक क्रिया-